समक्ष : उच्च न्यायालय, जबलपुर मध्यप्रदेश

ऍम पी क्र. 1063/1990

1. मनीराम यादव आ. श्री कंजबहलराम यादव उम्र 31 वर्ष
   निवासी - नया टिकरापारा, खैरागढ़, जिला राजनांदगाव , मध्यप्रदेश
2. रामदास वर्मा आ. श्री मिलनदास वर्मा उम्र 30 वर्ष
   निवासी - द्वारा श्री रामध्यान सिंह, जल घर के पास,
   वार्ड क्र. 03, खैरागढ़, जिला राजनांदगाव, मध्यप्रदेश
3. श्री रामध्यान सिंह आ. श्री मथुरा सिंह उम्र 30 वर्ष
   निवासी - जल घर के पास, वार्ड क्र. 03, खैरागढ़,
   जिला राजनांदगाव, मध्यप्रदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिककर्तागण

विरुद्ध

1. कुलपति इंदिराकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ मध्यप्रदेश

2. कुलसचिव इंदिराकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ मध्यप्रदेश

उत्तरवादीगण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत याचिका

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री न्यायधीश,

रिट याचिका क्रमांक 1063/1990

याचिकाकर्तागण : मणिराम यादव व अन्य

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण : कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविधालय खैरागढ़ व अन्य

उपस्थित : श्री सत्येन्द्र साहू वास्ते याचिकाकर्तागण

श्री एस एल बजाज अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादीगण

आदेश

(दिनाँक 16 नवंबर 2006 को पारित)

1. याचिकाकर्ता क्र. 1 को निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर दिनांक 09/10/1985 से तदर्थ आधार पर नियुक्ति कर कलेक्टर दर पर रुपए 450 प्रति माह के वेतन पर दो माह के लिये नियुक्त किया गया था। (अनुलग्नक डब्लू.1) जिसके पश्चात नियुक्ति की सीमा समान नियम व शर्तों पर बढ़ा दी गई। याचिकाकर्ता क्र. 1 को आदेश दिनाँक 26/04/1986 (अनुलग्नक डब्लू. 3) द्वारा समान

नियम व शर्तों पर पुनः नियुक्त किया गया। कई आदेशों के आधार पर वह तदर्थ रूप से 31/08/1989 तक पूर्वोक्त नियम व शर्तों पर लगातार कार्यरत रहा (अनुलग्नक डब्लू. 1 से डब्लू.-18)

2. याचिकाकर्ता क्र. 2 को तदर्थ रूप से लिपिक के पद पर कलेक्टर दर पर 89 दिवस के लिये 540/- प्रति माह पर दिनांक 01/11/1987 से नियुक्त किया गया। विभिन्न आदेशों (अनुलग्नक एक्स-1 से एक्स–9) के आधार पर समान नियम व शर्तों के तहत वह तदर्थ रूप से दिनांक 31/08/1989 तक निरंतर कार्यरत रहा ।

3. याचिकाकर्ता क्र. 03 को दिनाँक 17/08/1988 (अनुलग्नक वाई-1) से कलेक्टर दर पर तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था तथा विभिन्न आदेशो को जारी कर कलेक्टर दर पर अस्थाई नियुक्ति को सीमित अवधि के लिये रखा गया, उसने 31/08/1989 तक निरंतर कार्यरत रहा अनुलग्नक वाई-1 से वाई-7)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्तागण की नियुक्ति की म्याद समाप्त होने के साथ ही आदेश दिनांक 30/08/1989 उनके द्वारा सेवा भी दिनांक 31/08/1989 को समाप्त कर दी गई थी जो की पूर्णतःअस्थाई आधार पर 89 दिनों की थी। (अनुलग्नक – बी)

5. इस प्रकरण में याचिकाकर्तागण का स्वीकृत कथन है कि उनकी नियुक्ति रोजगार की संवैधानिक योजनाओं के अनुसार नहीं थी न ही संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत थी जिसमे सभी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मंगवाये गये हो। वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्तागण द्वारा दिनाँक 30/08/1989(अनुलग्नक बी) के आदेश को रद्द करने हेतु एवं याचिकाकर्तागण को दिनांक 01.09.1989 से नौकरी पर वापस लिये जाने हेतु तथा संपूर्ण पिछला वेतन दिलाये जाने हेतु रिट/निर्देश जारी करने का निवेदन किया गया है।

6. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दैनिक मजदूरी, तदर्थ कर्मचारी, परिवीक्षाधीन, अस्थाई अथवा संविदा कर्मचारी जिनकी नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 एवं 309 के अनुसार नहीं हुई है में माना है कि ऐसी नियुक्ति संविधान की योजना से बाहर है तथा सार्वजनिक रोजगार के मामले में पिछले दरवाजे से प्रवेश जैसी है।

7. सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने सचिव, कर्नाटक राज्य व अन्य विरुद्ध उमादेवी (3) व अन्य[1] मामले में स्पष्ट विधिक घोषणा की जिसे इसके पश्चात् विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुकरण किया गया जिनमें लेखा अधिकारी (ए एण्ड आई) ए.पी. एस आर टी.सी व अन्य विरुद्ध पी चंद्रशेखर राव व अन्य[2], सुरिंदर प्रसाद तिवारी विरुद्ध उ.प्र. राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद व अन्य[3], नगर महापालिका (वर्तमान में नगर निगम) विरुद्ध उ.प्र. राज्य व अन्य[4] एवं उ.प्र राज्य परिवहन निगम विरुद्ध मानसिंह[5] हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. सचिव, कर्नाटक राज्य व अन्य विरुद्ध उमादेवी (3) व अन्य (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नानुसार कहा गया –

> **"**45. अस्थाई अथवा आकस्मिक नियुक्तियों को नियमित अथवा स्थायी करने का आदेश पारित करते समय न्यायालय इस बात से प्रभावित होते हैं कि संबंधित व्यक्ति ने कुछ मामलों में लंबे समय तक काम किया है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अस्थायी अथवा आकस्मिक प्रकृति की किसी नियुक्ति को स्वीकार करता है उसे अपने रोजगार की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं है। वह खुली आँखों से रोजगार स्वीकार करता है। यह सच हो सकता है कि वह न चाहते हुए भी रोजगार के संबंध में हाथ फैलाकर (मोल भाव) बातचीत करने कि स्थिति में नही है। चूंकि अपनी आजीविका चलाने के लिये नौकरी की तलाश कर रहा है तो जो नौकरी उसे मिलती है वह उसे स्वीकार कर लेता है। परंतु केवल इस आधार पर नियुक्ति की संवैधानिक योजना को

1(2006) 4 SSC1
2(2006) 7 SSC 488
3(2006) 7 SSC 684
4(2006) AIR SCW 2497
5(2006) AIR SCW 5159

खारिज करना अथवा यह विचार करना कि एक व्यक्ति जिसने अस्थाई या आकस्मिक रूप से नियोजित किया है उसे स्थायी रूप से काम जारी रखने के लिये निर्देशित किया जाये उचित नहीं होगा। ऐसा करने से सार्वजनिक नियुक्ति की एक और प्रक्रिया तैयार हो जाएगी जो स्वीकार्य नहीं है।

"47 जब एक व्यक्ति अस्थाई रोजगार में प्रवेश करता है अथवा संविदा या आकस्मिक कर्मचारी के रूप में नियुक्ति प्राप्त करता है जिसका नियोजन प्रासंगिक नियमों या प्रक्रिया द्वारा मान्यता प्राप्त उचित चयन प्रक्रिया के अनुसार नहीं है तो उसे अस्थाई आकस्मिक अथवा संविदात्मक नियुक्ति के परिणामों की जानकारी होती है। ऐसे व्यक्ति को पद में स्थाई पुष्टि होने के लिये विधिपूर्ण अपेक्षा के सिद्धांत का आहवान करने का अधिकार नहीं है जबकि पद की नियुक्ति केवल चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके ही की जा सकती है। और संबंधित मामले में लोक सेवा आयोग के परामर्श करके ही की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपरोक्त कारणों से एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर याचिकाकर्ता सेवा में संविलियन अथवा स्थायी स्थिति अथवा नियमितिकरण के हकदार नहीं है।

10. तदनुसार यह याचिका खारिज की जाती है वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

`

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक

प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By :-Rashmi Khandelwal Adv, District Court Durg (C.G.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur